

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/रास्था/सी-६/रायि/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री सत्यवीर सिंह व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि नुहान्द, चूरू का रथानान्तरण राउमावि वायता, सरदारशहर चूरू किया गया। श्री सत्यवीर सिंह ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अपील संख्या 3074/2019 श्री सत्यवीर सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3074/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री सत्यवीर सिंह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की रिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री सत्यवीर सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पिताजी की मृत्यु सन 2000 में होने तथा माताजी के 80 वर्ष होने व रथानान्तरण रथान 300 किमी की दूसी तथा परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी रख्य पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन शहीद शीशाम नीमड राउमावि नोरागपुरा, चूरू अथवा राउमावि राऊ टिब्बा राजगढ़ की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विवार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुरु अप्यारोपण, हृदय शत्य विकित्सा, विघ्वा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानान्तरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित रत्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान चूरू जिले में ही किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिवर्थितियों को मददेनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निरतारित किया जाता है। चूंकि सत्यवीर सिंह का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि वायता, सरदारशहर, चूरू व्याख्याता के पद पर दिनांक 26/11/2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असेनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(निश्चल डिलो)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक - 18 / 11 / 2018

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-६/अभ्यावेदन/स्थानान्तरण/को.के/19-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रक्रिया) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री सत्यवीर सिंह के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की सिध्दी में उनके विरुद्ध सीसीए-17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग-प्रधान को भिजवाया जाना सुनिश्चित करायें।
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि)।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय ईवेमाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाधार्य/कार्मिक राउमावि।
8. गार्ड पजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर